छत्तीसगढ़ विधान सभा

नवम्बर–दिसम्बर, 2019 सत्र

दैनिक कार्य सूची

सोमवार,दिनांक 02 दिसम्बर,2019 (अग्रहायण 11,1941)

समय 11:00 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे।

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री, भारत के संविधान के अनुच्छेद 243–झ के खण्ड (4) तथा अनुच्छेद 243–म के खण्ड (2) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य के तृतीय राज्य वित्त आयोग का प्रतिवेदन वर्ष 2017–18 से 2021–22 एवं उस पर कृत कार्यवाही प्रतिवेदन पटल पर रखेंगे।

(2) श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री, खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957 (क्रमांक 67 सन् 1957) की धारा 28 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार अधिसूचना क्रमांक एफ 7–7/2004/12, दिनांक 16 अगस्त, 2019 द्वारा अधिसूचित छत्तीसगढ़ गौण खनिज साधारण रेत (उत्खनन एवं व्यवसाय) नियम, 2019 पटल पर रखेंगे।

(3) श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री, खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957 (क्रमांक 67 सन् 1957) की धारा 28 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार अधिसूचना क्रमांक एफ 7–7/2004/12, दिनांक 20 सितम्बर, 2019 पटल पर रखेंगे।

(4) श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री, विद्युत अधिनियम 2003 (क्रमांक 36 सन् 2003) की धारा 182 की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (ग्रिड इंटरैक्टिव विकेन्द्रित नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोत) विनियम, 2019 पटल पर रखेंगे।

(5) श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध अधिनियम, 2005 (क्रमांक 16 सन् 2005) की धारा 6 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार वर्ष 2019–20 के बजट की प्रथम तथा द्वितीय तिमाही के आय तथा व्यय की प्रवृत्तियों की समीक्षा पटल पर रखेंगे।

(6) श्री टी.एस. सिंहदेव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री, छत्तीसगढ़ आयुष एवं स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम 2008 (क्रमांक 21 सन् 2008) की धारा 43 की अपेक्षानुसार पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति स्वास्थ्य विज्ञान एवं आयुष विश्वविद्यालय, छत्तीसगढ़ का वार्षिक प्रविवेदन सत्र वर्ष 2018–19(दिनांक 01 जुलाई, 2018 से 30 जून, 2019 तक) पटल पर रखेंगे।

क्रमशः 2

(7) श्री मोहम्मद अकबर, वन मंत्री, कंपनी अधिनियम, 2013 (क्रमांक 18 सन् 2013) की धारा 395 की उपधारा (1) के पद (बी) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम लिमिटेड का वार्षिक प्रविवेदन एवं लेखे वर्ष 2017–18 पटल पर रखेंगे।

(8) श्री अमरजीत भगत, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री, कंपनी अधिनियम, 2013 (क्रमांक 18 सन् 2013) की धारा 395 की उपधारा (1) के पद (बी) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड का वार्षिक प्रविवेदन वर्ष 2016–17 तथा 2017–18 पटल पर रखेंगे।

(9) श्री उमेश पटेल, उच्च शिक्षा मंत्री, छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (क्रमांक 22 सन् 1973) की धारा 47 की अपेक्षानुसार –

(1) संत गहिरा गुरू विश्वविद्यालय सरगुजा, अंबिकापुर का वार्षिक प्रतिवेदन 1 जुलाई, 2018 से 30 जून, 2019 पटल पर रखेंगे।

(2) हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग का चतुर्थ वार्षिक प्रतिवेदन (1 जुलाई, 2018 से 30 जून, 2019) पटल पर रखेंगे।

(10) श्री उमेश पटेल, उच्च शिक्षा मंत्री, पंडित सुंदरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ अधिनियम, 2004 (क्रमांक 26 सन् 2004) की धारा 29 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार पंडित सुंदरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2018–19 (1 अप्रैल, 2018 से 31 मार्च, 2019) पटल पर रखेंगे।

(11) श्री उमेश पटेल, उच्च शिक्षा मंत्री, छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापन एवं संचालन) अधिनियम, 2005 (क्रमांक 13 सन् 2005) की धारा 42 के अधीन अधिसूचित छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापन एवं संचालन) नियम 2005 के नियम 22 एवं नियम 23 के उप नियम (घ) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा संपरीक्षा प्रतिवेदन वित्तीय वर्ष 2018–19 पटल पर रखेंगे।

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यानआकर्षण

(1) श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू, सदस्य, जिला धमतरी के ग्राम डॉगीमाचा में सोलर सूक्ष्म सिंचाई योजना प्रारंभ नहीं होने की ओर जल संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(2) श्री कुलदीप जुनेजा, सदस्य, तत्कालीन जिला प्रशासन रायपुर द्वारा बिना व्यवस्थापन किये खालसा विद्यालय स्थित दुकानों को तोड़े जाने की ओर नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(3) श्री गुलाब कमरो, सदस्य, कोरिया जिले के विकासखण्ड भरतपुर एवं सोनहत में हितग्राहियों को पेंशन का भुगतान न किये जाने की ओर समाज कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(4) श्री बघेल लखेश्वर, सदस्य, बस्तर जिले की शालाओं में व्याप्त अव्यवस्था की ओर स्कूल शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(5) सर्वश्री रजनीश कुमार सिंह, धरमलाल कौशिक, डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी, सदस्य, सीएसआईडीसी के द्वारा भंडार क्रय नियमों का पालन न किये जाने की ओर वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

क्रमशः 3

(6) श्री केशव प्रसाद चन्द्रा, सदस्य, प्रदेश में किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ न मिलने की ओर कृषि मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(7) श्री देवव्रत सिंह, सदस्य, इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय, खैरागढ़ में भवन निर्माण कार्य में अनियमितता किये जाने की ओर लोक निर्माण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(8) श्री धर्मजीत सिंह, सदस्य, अचानकमार वन अभ्यारण्य (टाईगर रिजर्व) में विभिन्न निर्माण कार्यों हेतु निविदा प्रक्रिया में अनियमितता किये जाने की ओर वन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(9) श्री सत्यनारायण शर्मा, सदस्य, प्रदेश में नेत्र सहायक अधिकारी के रिक्त पदों पर भर्ती नहीं होने की ओर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(10) श्री नारायण चंदेल, सदस्य, प्रदेश में राशन कार्ड वितरण में अनियमितता किये जाने की ओर खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(11) श्री शैलेष पाण्डेय, सदस्य, बिलासपुर शहर में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित एकीकृत योजनाओं में अनियमितता किये जाने की ओर महिला एवं बाल विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(12) श्री प्रकाश शक्राजीत नायक, सदस्य, रायगढ़ जिला अंतर्गत जिला खनिज संस्थान न्यास निधि के तहत् विकास कार्यों में अनियमितता किये जाने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(13) श्री सौरभ सिंह, सदस्य, जांजगीर–चांपा जिले की अकलतरा नगरपालिका अंतर्गत ओव्हर ब्रिज क्षतिग्रस्त होने की ओर लोक निर्माण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(14) सर्वश्री अजय चन्द्राकर, बृजमोहन अग्रवाल, शिवरतन शर्मा,सदस्य, लोक सेवाओं की ई–डिस्ट्रिक्ट पोर्टल एवं अन्य उपकरणों का रख रखाव नहीं किये जाने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(15) सर्वश्री धर्मजीत सिंह, शिवरतन शर्मा, सदस्य, प्रदेश के महती चिन्हित सड़कों के निर्माण में अनियमितता किये जाने की ओर लोक निर्माण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(16) सर्वश्री धरमलाल कौशिक, शिवरतन शर्मा, सदस्य, प्रदेश के लोकतंत्र सेनानियों को लोक नायक जयप्रकाश नारायण सम्मान निधि का वितरण नहीं किये जाने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(17) श्री कुंवर सिंह निषाद, सदस्य, किसान सहकारी समिति मर्यादित, गुण्डरदेही में अनियमितता व्याप्त होने की ओर सहकारिता मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(18) श्री विनोद सेवनलाल चन्द्राकर, सदस्य, छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम द्वारा पाठ्यपुस्तकों का मुद्रण गुणवत्ताविहीन कागजों से किये जाने की ओर स्कूल शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(19) श्री सौरभ सिंह, सदस्य, प्रदेश में कोसा से धागा निकालने वाली मशीन की खरीदी में अनियमितता किये जाने की ओर ग्रामोद्योग मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(20) श्री बघेल लखेश्वर, सदस्य, बस्तर जिले में शुद्ध पेयजल की व्यवस्था न होने की ओर लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(21) सर्वश्री बृजमोहन अग्रवाल, धर्मजीत सिंह,नारायण चंदेल, सदस्य, प्रदेश में शराब की बिक्री में व्याप्त अनियमितता की ओर वाणिज्यिक कर (आबकारी) मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

क्रमशः 4

4. प्रतिवेदन की प्रस्तुति

श्री अजय चन्द्राकर, सभापति, लोक लेखा समिति के चौंसठवें प्रतिवेदन (द्वितीय विधान सभा) पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही के संबंध में दसवां प्रतिवेदन (कार्यान्वयन) प्रस्तुत करेंगे।

5. याचिकाओं की प्रस्तुति

(1) श्री संतराम नेताम, सदस्य, केशकाल विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत–

(i) ग्राम बहीगांव में हायर सेकेण्डरी स्कूल हेतु नवीन भवन निर्माण करने,

(ii) ग्राम गारावंडी में हायर सेकेण्डरी स्कूल भवन निर्माण करने,

(iii) विकासखंड बड़ेराजपुर में हायर सेकेण्डरी स्कूल भवन निर्माण करने,

(iv) ग्राम जामगांव (डिहीपारा) से कछारपारा–एटेकोन्हाडीह–अड़ेंगा मार्ग निर्माण करने,

(2) श्री केशव प्रसाद चन्द्रा, सदस्य, जैजैपुर विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत –

(i) ग्राम छपोरा में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने,

(ii) ग्राम झालरौंदा में हाई स्कूल खोलने,

(iii) ग्राम लखाली में हाई स्कूल खोलने,

(3) श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू, सदस्य, धमतरी विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम छाती में हायर सेकेण्डरी स्कूल भवन निर्माण करने,

(4) श्रीमती इन्दू बंजारे, सदस्य, पामगढ़ विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम कोसा में लीलागर नदी के डोंगाघाट पर एनीकट निर्माण करने, तथा

(5) श्री चक्रधर सिंह सिदार, सदस्य, लैलूंगा विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम कटकलिया में हाई स्कूल का हायर सेकेण्डरी स्कूल में उन्नयन करने **के संबंध में याचिकाएं प्रस्तुत करेंगे।**

6. उपाध्यक्ष का निर्वाचन

(1) श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री, निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे –
"श्री मनोज सिंह मंडावी, जो इस विधान सभा के सदस्य हैं, को विधान सभा का उपाध्यक्ष चुना जाय।"
श्री ताम्रध्वज साहू, गृह मंत्री, उक्त प्रस्ताव का समर्थन करेंगे।

(2) श्री धरमलाल कौशिक, नेता प्रतिपक्ष, निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे –
"श्री मनोज सिंह मंडावी, जो इस विधान सभा के सदस्य हैं, को विधान सभा का उपाध्यक्ष चुना जाय।"
श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य ,उक्त प्रस्ताव का समर्थन करेंगे।

(3) श्री धर्मजीत सिंह, सदस्य, निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे –
"श्री मनोज सिंह मंडावी, जो इस विधान सभा के सदस्य हैं, को विधान सभा का उपाध्यक्ष चुना जाय।"
श्री प्रमोद कुमार शर्मा, सदस्य ,उक्त प्रस्ताव का समर्थन करेंगे।

(4) श्री केशव प्रसाद चन्द्रा, सदस्य , निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे –
"श्री मनोज सिंह मंडावी, जो इस विधान सभा के सदस्य हैं, को विधान सभा का उपाध्यक्ष चुना जाय।"
श्रीमती इन्दू बंजारे, सदस्य, उक्त प्रस्ताव का समर्थन करेंगी।

(5) श्री रविन्द्र चौबे, संसदीय कार्य मंत्री, निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे –
"श्री मनोज सिंह मंडावी, जो इस विधान सभा के सदस्य हैं, को विधान सभा का उपाध्यक्ष चुना जाय।"
डॉ. शिवकुमार डहरिया, नगरीय प्रशासन एवं विकास, मंत्री, उक्त प्रस्ताव का समर्थन करेंगे।

क्रमशः 5

(6) श्री सत्यनारायण शर्मा, सदस्य, निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे –
"श्री मनोज सिंह मंडावी, जो इस विधान सभा के सदस्य हैं, को विधान सभा का उपाध्यक्ष चुना जाय।"
श्री रामपुकार सिंह ठाकुर, सदस्य, उक्त प्रस्ताव का समर्थन करेंगे।

(7) श्रीमती देवती कर्मा, सदस्य, निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगी –
"श्री मनोज सिंह मंडावी, जो इस विधान सभा के सदस्य हैं, को विधान सभा का उपाध्यक्ष चुना जाय।"
डॉ. लक्ष्मी ध्रुव, सदस्य, उक्त प्रस्ताव का समर्थन करेंगी।

(8) श्री टी. एस. सिंहदेव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, मंत्री, निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे –
"श्री मनोज सिंह मंडावी, जो इस विधान सभा के सदस्य हैं, को विधान सभा का उपाध्यक्ष चुना जाय।"
श्री गुरूदयाल सिंह बंजारे, सदस्य, उक्त प्रस्ताव का समर्थन करेंगे।

(9) श्री अजय चन्द्राकर, सदस्य, निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे –
"श्री मनोज सिंह मंडावी, जो इस विधान सभा के सदस्य हैं, को विधान सभा का उपाध्यक्ष चुना जाय।"
श्री नारायण चन्देल, सदस्य, उक्त प्रस्ताव का समर्थन करेंगे।

7. शासकीय विधि विषयक कार्य

निर्धारित समय

1 धंटा (1) श्री टी.एस. सिंहदेव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि –छत्तीसगढ़ पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 23 सन् 2019) पर विचार किया जाये।

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खंडशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाये।

30 मिनट (2) श्री उमेश पटेल, उच्च शिक्षा मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि – छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 24 सन् 2019) पर विचार किया जाये।

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खंडशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाये।

1 धंटा (3) श्री रविन्द्र चौबे, कृषि मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि –महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय विधेयक, 2019 (क्रमांक 25 सन् 2019) पर विचार किया जाये।

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खंडशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाये।

1 धंटा 30 मिनट

8. नियम 139 के अधीन लोक महत्व के विषय पर चर्चा

प्रदेश में हाथियों के उत्पात से हो रही जन–धन की हानि से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री धरमलाल कौशिक, सदस्य, चर्चा उठायेंगे।

रायपुर,
दिनांक 1 दिसम्बर, 2019

चन्द्र शेखर गंगराड़े
प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा.